युवा अधिकार नीति

प्रस्तावना

सभी इंसानों को अपने जीवन में ऐसे अवसर प्राप्त करने का अधिकार है जो उन्हें अपनी सक्षमता के आधार पर पूर्ण उन्नति करने के रास्ते प्रदान करेंगे। लेकिन देखा गया है कि युवाओं को अपने अधिकार आसानी से नहीं मिलते; इन्हें हासिल करने के लिए उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। द ग्रीन्स सुनिश्चित करना चाहता है कि युवाओं को ऐसी परवरिश मिले जिससे वे अपनी पूर्ण सक्षमता की पहचान कर समाज में सकारात्मक योगदान देने वाले, सुरक्षित, और स्वस्थ सदस्य बनें। चूंकि हर देश "युवा" शब्द को अलग तरह से परिभाषित करता है, इस नीति में प्रयोग हुए "युवा" शब्द की परिभाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा सांख्यिकीय उद्देश्यों में प्रयोग हुई "युवा" शब्द की परिभाषा के समान है। द ग्रीन्स इस नीति के विस्तृत रूप का समर्थक है जिसके अंतर्गत ज़्यादा-से-ज्यादा युवाओं को ये अधिकार हासिल होते हैं।

लक्ष्य

युवाओं को नीति निर्माण प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने का ठोस मंच मिलना चाहिए। विश्वभर में युवा कई सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं; इनमें से जलवायु आंदोलन सबसे प्रमुख है। इन युवाओं की आवाज़, इनके योगदान और अधिकारों को प्रोत्साहन और समर्थन देना चाहिए ताकि ये युवा वैश्विक नागरिक बनकर भविष्य के नेता बन सकें। हमारा मानना है कि युवाओं के हाथों में वर्तमान और भविष्य की डोर है।

- इसलिए, युवाओं को अधिकार प्रदान करने चाहिए ताकि वे पिछली पीढ़ी की चुनौतियों का सामना कर बेहतर समाज का निर्माण करे।
- ऐसे निकाय जो युवाओं के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं उनके चुनावों में स्थानीय और विश्व स्तर पर युवाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
- ग्रीन्स की नीतियां कमज़ोर युवाओं के लिए हानिकारक या उन्हें हानि पहुंचा सकने वाले निर्णयों की रोकथाम और इनके विषय में हस्तक्षेप करने में सक्षम होनी चाहिए।
- ऐसी नीतियों में आज निवेश करने से न केवल युवाओं को सहारा मिलेगा बल्कि नीति विफ़ल हो जाने से जुड़े व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक लागत में भी कमी आएगी।

उद्देश्य

सभी युवाओं को सामुदायिक गतिविधि और उनसे जुड़ी नीति तथा निर्णयों को लागू करने की प्रक्रिया में संपूर्ण और सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार मिलेगा। ग्रीन्स सभी युवाओं को एक सामान अवसरों और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगा। सभी युवा, चाहे वे कहीं भी रहते हों और/या उनकी सामजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। द ग्रीन्स युवाओं के अधिकारों का समर्थन करेगा और निम्नलिखित अधिकारों का सम्मान करेगा:

- युवाओं को स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीने का संपूर्ण अधिकार है। युवा अपने माता-पिता या अभिभावकों की संपत्ति नहीं बल्कि माता-पिता उनकी देखभाल करने वाले और उनके मार्गदर्शक हैं
- युवाओं के अधिकारों में पर्याप्त भोजन, घर, व्यापक स्वास्थ्य देखभाल और दूसरे बुनियादी महत्वपूर्ण अधिकार शामिल हैं
- युवाओं को दुर्व्यवहार, हानिकारक ड्रग्स, हिंसा, पर्यावरण से होने वाले खतरे, लापरवाही और शोषण से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है
- हर एक युवा का अधिकार है कि उसका विकास सुरक्षित और देखभाल से भरे माहौल में हो

- हर एक युवा, विशेष रूप से महिलाओं और किशोरियों, का अधिकार है कि उन्हें दिलचस्प, प्रासंगिक और जिज्ञासा बढ़ाने वाली शिक्षा मिले; ऐसी शिक्षा जो उनके मन में ज्ञान प्राप्त करने की प्राकृतिक रूचि जगाने में सक्षम हो
- माता-पिता, अध्यापक और समाज में मौजूद दूसरे साथी युवा की शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
- युवाओं को अपने-अपने सरकारों के समक्ष अपना प्रतिनिधि पेश करने का अधिकार है। इसमें वोट देने और सरकारी पद के लिए चुनाव लड़ने की ओर प्रोत्साहन प्राप्त करने के अधिकार शामिल होने चाहिए

कार्य योजना

द ग्रीन्स ऐसी नीति और संस्थाओं का निर्माण करेगा जो युवाओं को जीवन के हर पहलु और नीति निर्माण कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे; इस प्रकार युवा दायित्व के साथ निर्णय लेने और दूसरों का मार्गदर्शन करने में सक्षम बनेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी विद्यालयों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे विद्यार्थियों को प्रजातांत्रिक नागरिकता और निर्वाचन प्रक्रिया की समझ प्रदान करें और साथ ही, उन्हें विद्यालय तथा सामुदायिक निर्णय निर्माण के कार्यों में भाग लेने की ओर प्रोत्साहित भी करें। इसलिए, द ग्रीन्स -

समन्वयन और सहयोगिता

- सरकार के सभी स्तरों द्वारा युवाओं के लिए बनाई गई नीतियों के बीच बेहतर समन्वयन और सहकारिता स्थापित करेगा
- 14 साल से ऊपर के युवाओं के लिए नौकरी के ज़्यादा अवसर प्रदान करेगा
- युवाओं को टेलीविज़न, रेडियो, चलचित्र (फ़िल्म) और इंटरनेट जैसे संचार माध्यमों में अपने विचार पेश करने का अवसर प्रदान करेगा। अत: युवाओं को वाणिज्यिक संचार माध्यम (कमर्शियल मीडिया) का विश्लेषण करने की ओर सक्षम बनाने के लिए कौशल प्रदान किए जाने चाहिए।
- शिक्षा संस्थानों में प्रतिरोधी कॉरपोरेट विज्ञापनों पर रोक लगाएगा
- राज्य और स्थानीय सरकारों को अतिरिक्त संसाधन प्रदान करेगा ताकि वे 14 साल से ऊपर के युवाओं को नौकरी देकर दूसरे युवाओं को शराब और ड्रग्स से मुक्ति हेतु उपचार, रहने के लिए घर, ट्रेनिंग, न्याय जैसी अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान कर सकें।

प्रतिनिधित्व और योगदान

- युवाओं द्वारा अपने समुदाय और राष्ट्र की राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में किए गए विस्तृत और सकारात्मक योगदानों को मान्यता देते हुए उन्हें बढ़ावा देगा
- स्थानीय और सामुदायिक समिति तथा निर्णय निर्माण कार्यों में युवाओं की ओर से प्रतिनिधित्व या उनके विचारों को शामिल करना अनिवार्य बनाएगा
- सुनिश्चित करेगा कि युवाओं के माता-पिताओं को जगह-जगह स्थित और भली-भांति वित्त पोषित व्यवस्थाओं द्वारा सामाजिक सहारा मिलती रहे
- युवाओं को अपने-अपने सरकारों के समक्ष अपना प्रतिनिधि पेश करने का अधिकार प्रदान करेगा और इस ओर उन्हें प्रोत्साहन भी देगा। इसमें वोट देने और सरकारी पद के लिए चुनाव लड़ने की ओर प्रोत्साहन प्राप्त करने के अधिकार शामिल होने चाहिए।
- युवाओं के जीवन को प्रभावित करने वाली नीतियों की निर्माण प्रक्रिया में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहन देगा
- हर एक युवा जिसकी उम्र कम से कम 16 साल है उसे वोट देने का अधिकार प्रदान करेगा
- हर एक युवा जिसकी उम्र कम से कम 16 साल है उसे सरकारी कार्यालय में पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान करेगा

स्वास्थ्य और शिक्षा

- युवाओं को अपनी शिक्षा की दिशा और गति तय करने का अधिकार प्रदान करेगा और साथ ही, वे अपनी शिक्षा संस्थाओं के संचालन में भी अपना योगदान दे सकेंगे
- लिंग, लैंगिकता, लैंगिक पहचान, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और ड्रग्स संबंधी व्यापक और प्रमाण आधारित शिक्षा को विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करेगा
- स्कूल पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र, मानवाधिकार, पर्यावरण शिक्षा और संघर्ष समाधान जैसे विषयों को शामिल करेगा
- विद्यालय शिक्षा द्वारा विविधता, बहुसंस्कृतिवाद, एक-दूसरे के प्रति सम्मान और ऐसे ही अन्य व्यवहार कौशल मूल्यों को अपना समर्थन देगा
- ऐसे कार्यक्रम लागू करेगा जो युवाओं को स्वतंत्र रूप से जीने के कौशल सिखाते हैं जैसे घर के खर्च संभालने और बचत करने के कौशल, पैसे संभालने के कौशल और ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण "जीवन कौशल"
- युवाओं की मानसिक समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा
- सभी युवाओं को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा जिसमें दांत संबंधी चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य सेवा शामिल होगी
- सुनिश्चित करेगा कि युवा विशेष रूप से युवा महिलाएं परिवार नियोजन के उपाय आसानी से प्राप्त कर सके
- सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय और बच्चों की देखभाल करने वाले केंद्र बिना भेदभाव सभी को अपनी सेवाएं प्रदान करें और इनमें पक्षपाती व्यवहार, जातिवाद, दूसरों को सताना, धमकाना और हिंसा की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जाते हों
- समलैंगिक/उभयलैंगिक/विपरीतलैंगिक/विचित्र/मध्यलैंगिक/अलैंगिक युवाओं पर लगे सामाजिक कलंक, उनके खिलाफ हिंसा और खुदखुशी के मामलों को कम करने के लिए विद्यालयों को रेनबो संस्थानों (समलैंगिक/उभयलैंगिक/विपरीतलैंगिक/विचित्र/मध्यलैंगिक/अलैंगिक युवाओं का समर्थन करने वाली संस्थाएं) के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा
- समाज में पलने वाले भेदभाव और विशेष रूप से लिंग, लैंगिकता और लैंगिक पहचान से जुड़े सामाजिक कलंक और भेदभाव को कम करने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम लागू करेगा
- युवा जिन्हें शराब, ड्रग्स आदि की लत है उनके लिए उचित पुनर्वासन कार्यक्रम शुरू कर उन्हें इन कार्यक्रमों में भाग लेने में मदद करेगा
- कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों को छात्र भत्ता (स्टूडेंट अलाउंस) प्रदान कर उनका समर्थन करेगा

अधिकार और न्याय

- आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार लाएगा ताकि युवाओं के लिए सामुदायिक सेवा जैसी वैकल्पिक व्यवस्था शामिल की जा सके
- आपराधिक दायित्व की उम्र 16 साल निर्धारित करेगा और केवल 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के युवाओं को कारावास में रखने का पक्षधर होगा। किसी भी स्थिति में ग्रीन्स मृत्यूदंड का समर्थन नहीं करेगा।
- मांग करेगा कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी युवा को पुलिस हिरासत में या वयस्कों के साथ न रखा जाए। युवाओं के लिए अलग बाल या किशोर कारागार प्रदान किए जाएं।
- सुनिश्चित करेगा कि सभी युवाओं को सामुदायिक गतिविधि और उससे जुड़ी नीति तथा निर्णयों को लागू करने की प्रक्रिया में संपूर्ण और सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार मिले
- युवाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं प्राप्त करना आसान बनाएगा चाहे वे कहीं भी रहते हों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो

- विभिन्न समुदाय, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए युवा, समलैंगिक/उभयलैंगिक/विपरीतलैंगिक/विचित्र/मध्यलैंगिक/अलैंगिक युवा और दूसरे अल्पसंख्य समुदायों के युवा सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सेवाएं प्रदान करेगा और इससे संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगा।
- सुनिश्चित करेगा कि युवाओं को अपने समुदाय के समक्ष सभी सरकारी स्तरों पर उचित प्राधिकरणों द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करने के अवसर मिले
- सुनिश्चित करेगा कि जो युवा शोषण भरे वातावरणों से निकलकर आए हैं उनके लिए सुरक्षित, किफ़ायती और उचित सरकारी, सामाजिक और निजी किराए के मकानों की व्यवस्था की जाए
- बाल मज़दूरी और बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को कड़ाई से लागू करेगा

संदर्भ:

https://www.greens.org.nz/youth_affairs_policy

https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/

https://greens.org.au/vic/policies/youth-policy

https://chronicleofsocialchange.org/news-2/a-vision-for-california-policy-from-youth-in-foster-care/20172

https://www.younggreens.org.uk/

https://www.greenparty.org.uk/green-guarantee/our-promise-to-young-people.html

https://indiagreensparty.org/policies/child-and-youth-development/

https://www.cagreens.org/platform/youth-rights

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/youth-0/index.html